राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/टी.ए./2756/2004/बीकानेर

बंशीलाल पुत्र भैरुबक्श, जाति व्यास, साकिन हाल दम्मानी चौक पुगलिया पोल, बीकानेर।

.....अपीलार्थी

बनाम

1– सत्यदेव पुत्र भैरुबक्श, जाति व्यास, निवासी कीकाणी व्यासों का चौक, बीकानेर।

2– श्रीमती कमलादेवी पुत्री भैरुबक्श, पत्नी शिवरतन, जाति जोशी, जोशी मैडिकोज, जोशी वाडा, बीकानेर।

3– रामबक्श पुत्र भैरुबक्श, जाति व्यास, साकिन मरलीधर रामदेव मंदिर के सामने, बीकानेर।

4– गुरुबक्श पुत्र शिव कुमार, जाति व्यास, नाबा0 जरिये वलिया रामादेवी पत्नी स्व0 भैरुबक्श, जाति व्यास दादी साकिन कीकाणी व्यासों का चौक, बीकानेर।

5– रामादेवी धर्मपत्नी स्व0 भैरुबक्श, पत्नी रमणलाल, जाति आचार्य, साकिन आचार्यो का चौक, बीकानेर।

6– अशोक कुमार पुत्र रामचन्द, जाति ब्राह्मण, निवासी कमाना, तहसील हनुमानगढ।

7– राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, राजस्व, हनुमानगढ।

.....रेस्पोडेन्ट

खण्ड पीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थित–
श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री के0के0 पुरोहित, अभिभाषक रैस्पो0

निर्णय

दिनांक : 31.01.2020

हस्तगत द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) की धारा 225 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ द्वारा अपील संख्या 63/2003 शीर्षक 'सत्यदेव बनाम बंशीलाल' में पारित निर्णय दिनांक 22–06–2004 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/अपी0 ने एक वाद अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ के समक्ष इस आशय का पेश किया कि आराजी स्थित चक नम्बर 17 एस0टी0जी0 कुल किता 4 कुल रकबा 25 बीघा एवं चक नम्बर 3 डी0बी0एल0 कुल किता 3 कुल रकबा 6 बीघा कुल रकबा 31 बीघा वादी के पिता भैरुबक्स पुत्र सीताराम के कब्जे काश्त खातेदारी की थी और भैरुबक्स के फौत होने पर उनके वारिसान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 तथा उनकी पुत्री स्व0 मु0 शान्ति के नाम ब0हि0बराबर–बराबर दर्ज हुई। मु0 शांन्ति देवी फौत होने से उसका 77½ हिस्सा भैरुबक्स के अन्य वारिसान के नाम दर्ज हो गया। प्रतिवादी संख्या 1,2,4,5 ने उक्त आराजी में से दिनांक 4.10. 1972 को रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा दुलीचन्द वल्द रामरख को, दिनांक

4.10.1972 को रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा लक्ष्मीनारायण वल्द रामचन्द्र को, दिनांक 4–10–1972 को रकबा 6 बीघा पृथ्वीराम वल्द ठाकरराम को, दिनांक 31–8–1981 को रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा अशोक कुमार वल्द रामचन्द्र को जरिये बयनामा बेचान कर दिया। इस प्रकार इनके द्वारा कुल रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा बेचान कर दिया जब कि उनका हिस्सा केवल 12 बीघा 14 बिस्वा ही बनता है और इस प्रकार इनके द्वारा 5 बीघा 16 बिस्वा बेशी आराजी बेचान कर दी। उक्त क्रेतागण के नाम अंकन होने के बाद बाकी 15 बीघा आराजी का खाता संख्या 3 प्रतिवादी संख्या 6 के नाम 50 हिस्सा तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 3 व 6 एवं स्व0 शांति पुत्री भैरुबक्स के नाम प्रत्येक का 66½ हिस्सा दर्ज जमाबंदी है। स्व0 शांति पुत्री भैरुबक्स के फौत होने के बाद उसका 66½ हिस्सा उसके अन्य वारिसान में औद हो गया और इस प्रकार वादी व प्रतिवादी संख्या 3 व 6 का हिस्सा जमाबंदी में अंकित हिस्सा से अधिक हो गया और चूँकि प्रतिवादी संख्या 1,2,4,5 ने उक्त आराजी में अपने ही अपने हिस्से से अधिक भूमि का बेचान कर दिया इसलिए बाकी बची आराजी 12 बीघा 10 बिस्वा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 3 व 6 का ब.हिस्सा बराबर मिलनी चाहिए और इस प्रकार प्रत्येक का 83 हिस्सा रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा बनता है जब कि जमाबंदी में 66½ हिस्सा दर्ज है। अतः दावा वादी डिक्री कर चक 17 एस0टी0जी0 के खाता संख्या 3 में वादी 83 हिस्सा रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा का खाता अलग से कर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाये। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ ने दिनांक 30.12.2002 को मुताबिक राजीनामा दिनांक 24.10.2002 दावा डिक्री किया। उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत होने पर राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ द्वारा निर्णय दिनांक 22–06–2004 से अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त किया और प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया कि पक्षकारों द्वारा राजीनामा पेश होने पर उन्हें सुन कर प्रावधानों के अनुसार पुनः निर्णय करें। उक्त निर्णय के विरुद्ध मण्डल के समक्ष हस्तगत द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4– अपीलार्थी–वादी पक्ष के योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय के समक्ष जो वाद प्रस्तुत किया गया था उसे परीक्षण न्यायालय के द्वारा विधिक परिप्रेक्ष्य में विचारण करते हुये डिक्री किया गया था और उस निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपील को अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अविधिक रुप से स्वीकार कर प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रति प्रेषित किया है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि वादी/अपीलार्थी के पिता भैरुबक्स के खाते में 31 बीघा भूमि थी जिसमें से 18 बीघा 10 बिस्वा भूमि को रैस्पो0 संख्या 1, 3, 5, 6 ने 1972 में बेचान कर दिया और शेष 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि में अपीलार्थी बंशीलाल व रैस्पो0 संख्या 2 कमला देवी पुत्री भैरुबक्स का ही हक हिस्सा रहा। रैस्पो0 संख्या 1, 3, 5, 6 का कोई हिस्सा शेष नहीं रहा था। शांति देवी फौत होने पर उसके हिस्से को वादी–अपीलार्थी की माता रामादेवी ने अपने हिस्से में शामिल कर लिया। वादी व रैस्पो0 संख्या 1 ता 6 ने राजीनामा दिनांक 20–10–2002 को बीकानेर में लिख कर नोटेरी से तस्दीक करवाया तथा दिनांक 22.10.2002 को स्वयं रैस्पो0 संख्या–1 सत्यदेव ने राजीनामा कोर्ट में पेश किया, फर्देकाम में रैस्पो0 संख्या–1 के हस्ताक्षर हैं। दिनांक 24–10–2002 को रैस्पो0 संख्या–5 रामादेवी ने राजीनामा प्रस्तुत किया। दिनांक 22–10–2002 को प्रस्तुत राजीनामा में सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर थे तथा दिनांक 22–10–2002 व दिनांक 24–10–2002 दोनों

से सहमत थे। इस प्रकार रैस्पो0 उक्त राजीनामा से एस्टोप्ड हैं। राजीनामा के आधार पर पारित की गई डिक्री को चुनौती देने का रैस्पो0 संख्या 1 व 2 को कोई अधिकार नहीं था, अतः राजीनामा के आधार पर जो डिक्री परीक्षण न्यायालय ने जारी की है वह सही है और इसकी अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष संधारण योग्य ही नहीं रही थी। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील रैस्पो0 संख्या 1, 2/प्रतिवादी संख्या 2, 6 ने पेश की है जब कि ये राजीनामा से सहमत थे, जिसके बाबत् रैस्पो0 संख्या 2 कमला देवी ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय में दिनांक 18.6.2003 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था कि वे अपील को चलाना नहीं चाहती हैं। सत्यदेव का आराजी में कोई हिस्सा शेष नहीं रहा था, उसने अपना हिस्सा पहले ही बेचान कर दिया था जिससे उसे अपील करने का अधिकार ही नहीं था। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने मियाद के बिन्दु पर भी गलत प्रकार से निर्णय पारित किया है जब कि अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय में सभी पक्ष उपस्थित थे। रामादेवी की ओर से प्रस्तुत किए गए राजीनामा की अधिकारिता को उठाने का रैस्पो0 को कोई अधिकार नहीं है और रामादेवी की तरफ से कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है। स्पष्ट है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने गलत प्रकार से फाइंडिंग देते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के निर्णय को निरस्त किया जाये और परीक्षण न्यायालय के निर्णय को पुष्ट किया जाये।

5– रैस्पो0/प्रतिवादी पक्ष के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय के समक्ष जो वाद दायर किया गया था उसमें राजीनामा के आधार पर निर्णय व डिक्री दिनांक 30–12–2002 पारित की गई है किन्तु यह राजीनामा रामादेवी द्वारा पेश नहीं किया गया है। अकेले रामा देवी को राजीनामा पेश करने का अधिकार भी नहीं रहा है। राजीनामा में सभी पक्षकारों को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना चाहिए, जब कि सभी पक्ष उपस्थित नहीं हुये हैं। अतः इस प्रकार की स्थिति में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को प्रति प्रेषित करने में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की है।

6– उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों का अवलोकन, अध्ययन किया गया।

7– हस्तगत प्रकरण में यह निर्विवाद है कि वादीगण व प्रतिवादीगण स्व0 भैरुबक्स के वारिसान हैं और प्रश्नगत आराजी स्व0 भैरुबक्स के खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी रही है। इस बिन्दु पर पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का विवाद नहीं है। पक्षकारान के मध्य जो विवाद है वह प्रकरण में किए गए राजीनामा पर है। परीक्षण में पाया जाता है कि परीक्षण न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत किए गए राजीनामा के आधार पर डिक्री दिनांक 30–12–2002 को पारित की है जब कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने परीक्षण न्यायालय के निर्णय को अपने निर्णय दिनांक 22–6–2004 से इस आधार पर निरस्त किया है कि राजीनामा पक्षकारान द्वारा पेश नहीं किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या–3 शिवकुमार के फौत होने पर प्रतिवादिया संख्या 4 रामादेवी को माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 13–5–2002 के आधार पर शिवकुमार के पुत्र गुरुबक्स नाबा0 जरिये संरक्षिका दादी रामीदेवी पत्नी भैरुबक्स को दावे में पक्षकार बनाये जाने का आदेश दिया गया है और इसी आधार पर प्रतिवादी संख्या–3 गुरुबृक्ष का बली के रुप में रामादेवी को अंकित किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध प्रदर्श–8 पॉच रुप से स्टाम्प पर शिवकुमार व्यास पुत्र भैरुबक्स द्वारा सहमति पत्र दिया गया है। दिनांक 20.10.

2002 का नोटेरी से प्रमाणित आपसी समझौता दिनांक 21–10–2002 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिसमें चक 17 एस0टी0जी0 के मु0नं0 72/296 के किला नम्बर 1 से 4 की आराजी कुल किता 3-02½ तीन बीघा 2½2–1/2 बिस्वा यानि 62½ हिस्सा बंशीलाल पुत्र स्व. भैरुबक्स के हिस्से में आना अंकित किया गया है। इस सहमति पत्र पर पहचानकर्त्ता अधिवक्ता शिव अला अंकित किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 22–10–2002 में अंकित किया गया है कि "प्रतिवादी संख्या–2 सत्यदेव भी उपस्थित। वादी पक्ष के अभिभाषक द्वारा पक्षकारों के मध्य हुये समझौते की लिखित पेश की, जो शामिल पत्रावली हो चुकी है। इस आदेशिका पर सत्यदेव आजाद के नाम से हस्ताक्षर भी किए हुऐ हैं।" आदेशिका दिनांक 24–10–2002 इस आशय की अंकित की गई है कि "आज यह पत्रावली मु0 रामी के प्रार्थना पत्र पर पेशी में ली गई। वादी पक्ष के अभिभाषक एवं स्वयं वादी भी उपस्थित हैं तथा प्रति0 रामी देवी भी स्वयं उपस्थित प्रति0 रामीदेवी द्वारा प्रा0 पत्र आदेश 32 नियम 7 सीपीसी प्रस्तुत कर प्रतिवादी संख्या 3 शिवकुमार के नाबा0 पुत्र गुरुबक्श की ओर से राजीनामा प्रस्तुत कर मुताबिक राजीनामा यह वाद पत्र फैसल करवाने की अनुमति का निवेदन किया। इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में वादी पक्ष के अभिभाषक तथा स्वयं वादी को कोई आपत्ति नहीं है। अतः मु0 रामीदेवी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त चाही गई अनुमति प्रदान की जाती है। वादी तथा प्रतिवादी संख्या 3 की कुदरती वलिया दादी मु0 रामीदेवी ने राजीनामा प्रस्तुत किया, जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया।" इस आदेशिका पर रामी देवी की अंगूठा निशानी अंकित है। परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में उक्त राजीनामा दिनांक 24–10–2002 संलग्न है जिसमें शिनाख्त श्री लालचंद वर्मा, एडवोकेट द्वारा की गई है, अंकित है। उक्त राजीनामा के आधार पर ही परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 30–12–2002 को निर्णय पारित किया है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह कहना उचित नही होगा कि पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा नहीं हुआ है। विधिक प्रावधानों के अनुसार पक्षकारान अपने द्वारा किए गए राजीनामा से एस्टोप्ड हैं। यदि वे राजीनामा नहीं होने का तर्क देते हैं तो इसके लिए उन्हें राजीनामा को निरस्त कराने हेतु सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करना चाहिए था। प्रकरण में ये भी पाया जाता है कि परीक्षण न्यायालय के राजीनामा के आधार पर पारित किए गए निर्णय दिनांक 30–12–2002 के विरुद्ध मूल वाद के प्रतिवादी संख्या 2 सत्यदेव एवं प्रतिवादी संख्या–6 कमला देवी की ओर से अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है, जिसमें अपीलार्थी संख्या–2 कमला देवी द्वारा दिनांक 18–6–2003 को अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष आवेदन किया है कि "उपरोक्त वर्णित अपील में प्रार्थीया की हद तक कोई कार्यवाही नहीं कर खारिज फरमा दी जावे।" इस प्रकार जहॉ तक अपीलार्थी संख्या–2 का सम्बन्ध है तो उसकी सीमा तक अपील इसी आवेदन के आधार पर खारिज योग्य थी। राजीनामा प्रतिवादी संख्या–4 मु0 रामादेवी के द्वारा किया गया है और इस राजीनामा के सम्बन्ध में अपील करने का अधिकार भी प्रतिवादी संख्या–4 मु0 रामदेवी को ही था। मु0 रामादेवी की ओर से प्रस्तुत किए गए राजीनामा की अधिकारिता को उठाने का रैस्पो0 संख्या 1 को किसी प्रकार का अधिकार नहीं रहा है और रामादेवी की तरफ से इस राजीनामा या राजीनामा के आधार पर पारित निर्णय दिनांक 30–12–2002 के विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है। स्पष्ट है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अनावश्यक रुप से विचारण न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो कि पुष्ट किये जाने योग्य प्रतीत नहीं होता है।

8– फलतः उपरोक्त विवेचन व विधिक परिप्रेक्ष्य में हस्तगत अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य पाई जाती है। अतः अपील अपीलार्थी **स्वीकार** की जाती है और राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ द्वारा अपील संख्या 63/2003 शीर्षक 'सत्यदेव बनाम बंशीलाल' में पारित निर्णय दिनांक 22–06–2004 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य

(शिखर अग्रवाल)
सदस्य